संख्या : 49/2015/785/छप्पन-15-12 रिट/2015

प्रेषक,

एस0के0 रघुवंशी,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन, उ0प्र0,
लखनऊ।

नागरिक उड्डयन अनुभाग लखनऊ : दिनांक : 03 जुलाई, 2015

विषय : प्रकीर्ण वाद संख्या- 16/2002 इजराय वाद संख्या- 32/2015 श्रीकृष्ण (मृतक) के प्रतिस्थापित उत्तराधिकारी बनाम उ0प्र0 सरकार व अन्य में पीठासीन अधिकारी, नगर महापालिका न्यायाधिकरण, लखनऊ के निर्णय दिनांक 03.4.2015 के अनुपालन में रूपये 1,60,13,474-22 (रूपये एक करोड़ साठ लाख तेरह हजार चार सौ चौहत्तर और बाइस पैसे मात्र) की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या- 176-79/ना0उ0नि0/2015 दिनांक 14.5.2015 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा प्रकीर्ण वाद संख्या- 16/2002, इजराय वाद संख्या- 32/2015 श्रीकृष्ण (मृतक) के प्रतिस्थापित उत्तराधिकारी बनाम उ0प्र0 सरकार व अन्य में पीठासीन अधिकारी, नगर महापालिका न्यायाधिकरण, लखनऊ के निर्णय दिनांक 03.4.2015 के अनुपालन में मा0 न्यायालय में रूपये 1,60,13,474-22 (रूपये एक करोड़ साठ लाख तेरह हजार चार सौ चौहत्तर और बाइस पैसे मात्र) की धनराशि हेतु अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रकीर्ण वाद संख्या- 16/2002, इजराय वाद संख्या- 32/2015 श्रीकृष्ण (मृतक) के प्रतिस्थापित उत्तराधिकारी बनाम उ0प्र0 सरकार व अन्य में पीठासीन अधिकारी, नगर महापालिका न्यायाधिकरण, लखनऊ के निर्णय दिनांक 03.4.2015 के परिप्रेक्ष्य में सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (दीवानी), लखनऊ की विधिक राय के दृष्टिगत तथा उक्त इजराय वाद में गणना प्रपत्र के अनुसार अपेक्षित धनराशि की स्वीकृति विषयक उक्त प्रस्ताव पर सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदय उक्त वाद में मा0 न्यायालय, पीठासीन अधिकारी, नगर महापालिका न्यायाधिकरण, लखनऊ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 03.4.2015 के अनुपालन में रूपये 1,60,13,474-22 (रूपये एक करोड़ साठ लाख तेरह हजार चार सौ चौहत्तर और बाइस पैसे मात्र) की धनराशि मा0 न्यायालय, पीठासीन अधिकारी, नगर महापालिका न्यायाधिकरण, लखनऊ में जमा किये जाने हेतु सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

----2

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

3- उपर्युक्त स्वीकृत धनराशि चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में अनुदान संख्या- 38 के लेखा शीर्षक "5053-नागर विमानन पर पूँजीगत परिव्यय-आयोजनागत-02-विमानपत्तन-800-अन्य व्यय-20-हवाई पट्टियों के निर्माण, विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण तथा भूमि अर्जन-24-वृहत्त निर्माण कार्य " से वहन की जायेगी।

4- उक्त वित्तीय स्वीकृति वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या- 2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015, दिनांक 30.3.2015 के प्रस्तर- 2(17) के अनुसार प्रतिनिधानित अधिकारों के तहत जारी की जा रही है।

5- तदनुसार उक्त स्वीकृत धनराशि कृपया मा0 न्यायालय, पीठासीन अधिकारी, नगर महापालिका न्यायाधिकरण, लखनऊ में जमा कर ट्रेजरी चालान की एक छायाप्रति शासन को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(एस0के0 रघुवंशी)
सचिव।

संख्या : 49/2015/785(1)/छप्पन-2015-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार-प्रथम (आडिट/लेखा), उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. वित्त नियंत्रक, नागरिक उड्डयन निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ।
3. उप निदेशक, नागरिक उड्डयन निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ।
4. जिलाधिकारी, लखनऊ।
5. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. न्याय अनुभाग-6
7. वित्त (व्यय नियंत्रक) अनुभाग-7
8. समीक्षा अधिकारी (बजट)।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(कृष्ण चन्द्र राय शर्मा)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।